टिकटॉक के लिए अमेरिका-चीन में समझौता

अगले साल चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प

वाशिंगटन, 20 सितंबर. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बात की. जिसमें दोनों नेतों के बीच टिकटॉक को लेकर समझौता, द्विपक्षीय व्यापार तथा कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी.

ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इस वार्ता को सफल बताते हुए कहा कि दोनों नेता इस साल अक्टूबर के अंत में दक्षिण कोरिया में होने वाले एपेक शिखर बैठक में मुलाकात करेंगे. इसके बाद अगले साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति चीन का दौरा करेंगे और बाद में चीनी राष्ट्रपति भी अमेरिका आयेंगे. दोनों देशों के बीच पिछले जो बाइडेन प्रशासन के दौरान रिश्तों में दूरी आ गयी थी. यहां तक कि ट्रम्प भी अब तक चीन के आलोचक रहे थे और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य देशों से चीन पर शत-प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की अपील की थी. ऐसे में चीन के प्रति उनके रवैये में बदलाव वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में लिखा, चीन के राष्ट्रपति शी के साथ काफी सफल बातचीत हुई. हमने व्यापार, फेनटानिल, रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई समाप्त करने और टिकटॉक समझौते समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रगति की.

> पिछले साल हुए चुनाव में अपने अभियान के लिए ट्रम्प ने टिकटॉक का काफी इस्तेमाल किया था और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने चार बार अमेरिका में उस पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा को आगे बढ़ाया है. फिलहाल यह समय सीमा दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है. ब्रिटेन दौरे पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टिकटॉक को लेकर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में ट्रम्प ने कहा था, जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, वे दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से हैं.

इजरायल का करीबी भारत फिर भी फिलिस्तीन के साथ

नई दिल्ली, 20 सितंबर. भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीति से पूरी दुनिया को चौंका दिया है. शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डाला.

इस कदम ने न केवल इजरायल को हैरान कर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने में कितना कुशल है.संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को लेकर आए प्रस्ताव ने एक बार फिर भारत की कूटनीति को सुर्खियों में ला दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने दुनिया को चौंका दिया, जब भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डालते हुए खुला समर्थन दिया. यह वही भारत है, जो अक्सर इजरायल का करीबी माना जाता है, लेकिन जब बात फिलिस्तीन और उसके अधिकारों की आती है तो वह संतुलन साधते हुए अलग रुख दिखा देता है. इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

प .बंगाल के मंत्री विशेष अदालत में पेश

शिक्षक भर्ती घोटाले में सैकड़ों करोड़ के लेन-देन का आरोप

कोलकाता, 20 सितंबर. पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा शनिवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत में 2016 में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में पेश हुए. अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. शिक्षक भर्ती घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेन-देन की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय, शिक्षक नियुक्ति अनियमितताओं के व्यापक पहलुओं में सिन्हा से हिरासत में पूछताछ की मांग कर रहा है. इस मामले में कई दर्जन लोगों से पूछताछ या गिरफ्तारी हो चुकी है. ईडी के वकील ने मंगलवार को विशेष अदालत में दलील दी थी कि एजेंसी को बीरभूम में जेल मंत्री से जुड़ी और भी संपत्तियां मिली हैं.

> न्यायाधीश ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और सिन्हा को 20 सितंबर तक अंतरिम ज़मानत दे दी. संघीय एजेंसी का मानना है कि सिन्हा नौकरी के बदले नकदी घोटाले के लाभार्थी हैं और इस मामले में उनसे 8 करोड़ रुपये के बारे में पूछताछ करना चाहती है. सुधार प्रशासन सेवा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने पिछले मंगलवार को विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.

चीन-रूस ने विधायी सहयोग को मजबूत करने लिया संकल्प

मास्को, 20 सितंबर. चीन और रूस ने मंगलवार से शनिवार तक चलने वाले एक चीनी प्रतिनिधिमंडल की रूस यात्रा के दौरान विधायी निकायों के बीच सहयोग को मज़बूत करने का संकल्प लिया. इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष पेंग किंगहुआ ने रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन, तातारस्तान गणराज्य के प्रमुख रुस्तम मिन्निखानोव और तातारस्तान राज्य परिषद के अध्यक्ष फ़रीद मुखमेतशिन से मुलाकात की. पेंग ने रूसी स्टेट ड्यूमा के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर बाबाकोव के साथ संसदीय सहयोग के लिए चीन-रूस समिति के संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक की सह-अध्यक्षता भी की. पेंग ने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में, चीन-रूस संबंध इतिहास में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं. पेंग ने आगे कहा कि चीन, दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा बनी सहमति को मूलभूत दिशानिर्देश मानकर, संयुक्त कार्य समूह की भूमिका का और अधिक लाभ उठाने, विधायी निकायों के बीच सहयोग को निरंतर बढ़ाने और चीन-रूस संबंधों के उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास में योगदान देने के लिए रूस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है.

कुशल प्रवास को बढ़ावा देने किया नोरका रूट्स का दौरा

तिरुवंनतपुरम, 20 सितंबर. केरल की राजधानी तिरुवंनतपुरम स्थित नोरका (अनिवासी केरलवासी मामले विभाग) रूट्स का शनिवार को नयी दिल्ली के जर्मन दूतावास के प्रथम सचिव डॉ. साइमन पर्कर ने दौरा किया. इस दौरे का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से अलग भर्ती के नये अवसर और जर्मनी में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये साझेदारी बढ़ाने है.

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चों हेतु **केनरा बैंक, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1	सेन्धवा शाखा 89899 89106	श्री लाखन गांगले पिता दयाराम गांगले एवं श्रीमती क्रांती पति लाखन गांगले (ऋणी)	प्लाट नं. 169, वार्ड नं. 2, पटेल कॉलोनी, सेन्धवा, बड़वानी (म.प्र.) 451666, **क्षेत्रफल:** 1000 वर्गफीट, **सीमाएं: उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** गंदी गली, **पूर्व:** प्लाट नं. 170, **पश्चिम:** प्लाट नं. 168	**16,05,928.34** + दिनांक 24.06.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चें	07.07.2025 / 19.09.2025

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 21.09.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED)
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	1. (ऋण खाता क्रमांक 80300010486846 (पुराना) 80300010486846 (नया) LNMEMN1000131826 (पुराना) 80300005875847 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री जसपाल सिंह आंजना उपनाम श्री जसपाल सिंह आंजना पुत्र श्री मोहन लाल अंजना (उधारकर्ता) श्रीमती बाली बाई पत्नी श्री जसपाल सिंह आंजना, श्री मोहन लाल अंजना पुत्र श्री चतर भुज अंजना (सह-उधारकर्ता)	06.09.2025 रु. 40,85,279/- (वर्तमान में) 02-सितंबर-25)	आवासीय संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, प्लॉट/मकान, प्लॉट क्षेत्रफल 10764 वर्ग फुट, आराजी संख्या 1158/1150, पटवारी हल्का/पटवार मंडल - बसाड़, गाँव चेनिया खेड़ी, तहसील और जिला प्रतापगढ़, राजस्थान 312605। सीमाः पूर्व में: श्री जसवंत सिंह की भूमि, पश्चिम में: श्री अर्जुन सिंह की भूमि, उत्तर में: कृषि भूमि, दक्षिण में: प्रतापगढ़-चेनिया खेड़ी रोड

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 20-09-2025
एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	62614749	संपत्ति पर ऋण	08.08.2025	रु. 4,17,720.13/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. प्रेम सिंह 2. संगीता प्रेम सिंह
संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, मकान संख्या 107, जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग फुट या 148.64 वर्ग मीटर है, सर्वे संख्या 243, वार्ड संख्या 07, ग्राम रतिखेड़ी, पीएच नंबर 75 पर स्थित है, तहसील एवं जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति की सीमा इस प्रकार है- पूर्व- मोहनलाल बागड़ी का मकान, पश्चिम- रोड, उत्तर- भागीरथ जी का मकान, दक्षिण- अंबरम जी का मकान.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	64141846	संपत्ति पर ऋण	04.09.2025	रु. 1,86,567.64/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. सतार खान 2. सलमा सत्तार
संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल संपत्ति असर मकान संख्या 124, सर्वे संख्या 596, वार्ड संख्या 08, पीएच नंबर 51, ग्राम बैगाँव पोस्ट पचलाना ग्राम पंचायत बैगाँव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर, मध्य प्रदेश, कुल क्षेत्रफल 525 वर्ग फ़ीट, और सीमांकित- पूर्व- सड़क, पश्चिम- कालूराम का मकान, उत्तर- शकूर खां की संपत्ति, दक्षिण- सड़क.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	140350376	संपत्ति पर ऋण	30.08.2025	रु. 5,23,213.48/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. तूफान सिंह 2. संपत बाई
संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल संपत्ति मकान संख्या 10, कुल क्षेत्रफल-762 वर्ग फ़ीट या 70 वर्ग मीटर., सर्वे क्रमांक 233, वार्ड क्रमांक 6, पीएच क्रमांक 52, ग्राम गोपालपुरा, तहसील मल्हारगढ़, मंदसौर, मध्य प्रदेश में स्थित है और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है- पूर्व- पिंटू का घर, पश्चिम- सड़क, उत्तर- खुली जमीन, दक्षिण- दरबार का घर.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
दिनांक: 21.9.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (WONDER HOME FINANCE — Zindagi Ki Perfect Shuruaat)
कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अत: आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4)एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) LN20041HC21-22005032 & LN20041HE22-23008604, श्री कृपाल गुर्जर पुत्र श्री मान सिंह गुर्जर (ऋणी), सीमा बाई गुर्जर (सहऋणी)	15/9/2025 Rs. 12,82,509.64 बारह लाख बयासी हजार पांच सौ नौ रूपये एवं चौसठ पैसे मात्र Rs. 4,09,290.08 चार लाख नौ हजार दो सौ नब्बे रूपये एवं आठ पैसे मात्र 8/9/2025 तक	श्री कृपाल गुर्जर पुत्र श्री मानसिंह गुर्जर की आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 424, पीएच नं. 05, भूमि सर्वे नं. 494 का भाग, ग्राम उपडी, ग्राम पंचायत लसुडिया कुलमी, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास मप्र 455116, क्षेत्रफल 3136 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) LN20041HE21-22006540 & LN20041HC22-23007711, श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगी लाल (ऋणी), श्रीमती सौराम बाई पत्नी श्री भंवर लाल (सहऋणी)	15/9/2025 Rs. 18,38,220.00 अठारह लाख अडतीस हजार दो सौ बीस रूपये मात्र एवं Rs. 7,87,576.00 सात लाख सतासी हजार पांच सौ छिहत्तर रूपये मात्र 8/9/2025 तक	श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगी लाल एवं श्रीमती सौराम बाई पत्नी श्रीभंवर लाल की आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 85, भूमि सर्वे नं. 259/3 की भूमि का भाग, ग्राम एवं ग्राम पंचायत रायपुरा, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मप्र 456550, क्षेत्रफल 4575 वर्गफीट
(ऋण खाता संख्या) LN20040HE24-25022160, श्रीमती मेघना प्रजापत पत्नी श्री राजेश प्रजापत (ऋणी), श्री राजेश प्रजापत (सहऋणी)	15/9/2025 Rs. 24,06,861.24 चौबीस लाख छः हजार आठ सौ इकसठ रूपये एवं चौबीस पैसे मात्र 8/9/2025 तक	श्रीमती मेघना प्रजापत पत्नी श्री राजेश प्रजापत की आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित मकान नं. 6 अर्चना नगर, वार्ड नं. 85, इन्दौर, तहसील एवं जिला इन्दौर, मप्र 452006, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट

दिनांक: 20-09-2025 स्थान: इन्दौर, मप्र — प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत कार्यालय 27-ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुंडई, चेन्नई-600032 तमिलनाडु

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 3 के साथ पठित, एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं/गारंटर(ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता और गारंटर को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करें. उधारकर्ता और गारंटर का विवरण, देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाने वाली सुरक्षा निम्नानुसार है:-

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1.	MP/INE/IDCT/A000001311. 1. श्री अब्दुल कादर अहमदाबादवाला 2. श्रीमती ज़हरा अहमदाबादवाला	11.08.2025 और 6/08/2025 तक रु. 1191967/- **एनपीए तिथि-** 04/08/2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति, मकान संख्या 12, नगरपालिका संख्या 173/12, जूना रिसाला, हरिजन कॉलोनी, इंदौर, जूना रिसाला, न्यू जीडीसी कॉलेज के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश 452002 में स्थित है. क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 33.08 वर्ग मीटर. सीमाएँ- विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्वी- गली संख्या 03, जूना रिसाला, पश्चिम- बैकलेन, उत्तर- क्वार्टर संख्या 13, दक्षिण- क्वार्टर संख्या 11, जूना रिसाला.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
2.	MP/IDR/DHAR/A000000295. 1. श्री अजय जी 2. श्रीमती मुन्नी जी 3. श्रीमती आनंदी बाई	11-09-2025 और 08/09/2025 तक रु. 968722/-. **एनपीए तिथि-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति प्लॉट संख्या 36, पीएच नंबर 25, ग्राम अंबोदिया, तहसील घटिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत-456006 पर स्थित है, कुल क्षेत्रफल- 1554 वर्ग फुट. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल- 1554 वर्ग फुट. सीमाएँ- विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्व - लोकेंद्र भैया का प्लॉट, पश्चिम - नंदकिशोर जी का मकान, उत्तर - रोड, दक्षिण - रोड.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
3.	MH/KGN/KHGN/A000000264. 1. श्री भागीरथ प्रजापति 2. श्रीमती सविता प्रजापति 3. श्री हनी प्रजापति	13-08-2025 और 06/08/2025 तक रु. 915479/-. **एनपीए दिनांक-** 04/08/2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति पीएच नंबर 102 न्यू42, खसरा नंबर 157/21, 157/24, बालाजी हिल्स, कॉलोनी, प्लॉट नंबर 40-A, वार्ड नंबर 13, चंद्रा, शेखर वार्ड, तहसील सनावद, खरगौन, मध्य प्रदेश, 451111 पर स्थित है. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल 745 वर्ग फुट. सीमा- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व-प्लॉट नंबर 27-A, श्री शैलेंद्र का मकान, पश्चिम-कॉलोनी रोड, उत्तर-यह पाकी, प्रथम पक्ष का शेष मकान, दक्षिण-कॉलोनी, चारदीवारी.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
4.	MP/IDR/MCHL/A000000529. 1. श्री बंती उमराव, 2. श्रीमती रितु बंती, 3. श्री उमराव, डोला	08-09-2025 और 08/09/2025 तक रु. 450363/- **एनपीए तिथि-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति वार्ड क्रमांक 15, सरल क्रमांक 64, लक्ष्मी बाई वार्ड, करनावद, बागली, देवास, मध्य प्रदेश, 455221 में स्थित है, कुल क्षेत्रफल-113.38 वर्ग मीटर. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल-113.38 वर्ग मीटर. सीमा- विक्रय विलेख के अनुसार पूर्व-अयूब खां का मकान, पश्चिम रोड, उत्तर में मुन्नी बाई टेकसिंह का मकान, दक्षिण में- हमीर डोला जी का मकान.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
5.	MH/KGN/KHGN/A000000250. 1. श्री दीपक केवट 2. श्रीमती पूजा केवट	11-09-2025 और 08/09/2025 तक रु. 804778/- **एनपीए दिनांक-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति नगर निगम भवन संख्या 231, शहर बड़वाह, पीएच संख्या 48, सर्वे संख्या 21/2 और 21/6, आदर्श नगर कॉलोनी-2, प्लॉट संख्या 19, वार्ड संख्या 13, ब्लॉक बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन, मध्य प्रदेश-451115 पर स्थित है. कुल क्षेत्रफल -69.7 वर्ग मीटर. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल- -69.7 वर्ग मीटर. सीमा- विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्व - कॉलोनी रास्ता, पश्चिम - कॉलोनी गली, उत्तर - श्रीमती चंदा बाई का घर, दक्षिण - श्री दिलीप ताम्रकार का घर और प्लॉट संख्या 19 का शेष क्षेत्रफल.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
6.	MP/IDR/DHAR/A000000084. 1. श्री गोवर्धनलाल मारू 2. श्रीमती अजोदिया नेमाजी	08-09-2025 और 08/09/2025 तक रु. 678169/- **एनपीए तिथि-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति मकान संख्या 05, पीएच नंबर 61, वार्ड संख्या 09, गाँव बोला, तह. सरदारपुर, जिला-धार, ग्राम बोला, धार, मध्य प्रदेश, भारत -454111, कुल क्षेत्रफल- 148.698 वर्ग मीटर. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल- 148.698 वर्ग मीटर. सीमा- विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्व में- संतोष पुत्र जगदीश जी का मकान, पश्चिम- रोड, उत्तर में- पूनमचंद पुत्र रूपाजी का मकान, दक्षिण में- बगदीराम पुत्र लक्ष्मण जी का मकान

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
7.	MP/INE/IDCT/A000001475 1. सचिन मंसूर 2. श्री जगदीश काचरू 3. श्री राज मंसूर 4. श्रीमती गीता बाई मंसूर 5. श्रीमती सरिता मंसूर	11-9-2025 और 08/09/2025 तक रु. 3309785/- **एनपीए दिनांक-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति प्लॉट संख्या 135, द ग्रैंड मराठा, ग्राम तलावली चांदा, तहसील एवं जिला इंदौर-452001, कुल क्षेत्रफल -55.76 वर्ग मीटर में स्थित है. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल- 55.76 वर्ग मीटर. सीमा- विक्रय विलेख के अनुसार - पूर्व-प्लॉट संख्या 102, पश्चिम-कॉलोनी रोड, उत्तर-प्लॉट संख्या 136, दक्षिण-प्लॉट संख्या 134.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
8.	MP/INE/IDCT/A000000362. 1. श्री संगीत कल्याणे 2. श्रीमती शारदा कल्याणे 3. श्री निक्की कल्याणे 4. श्री विक्की कल्याणे	11-08-2025 और 06/08/2025 तक रु. 1831396/- **एनपीए तिथि-** 04.08.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति, मकान संख्या 12, नगरपालिका क्रमांक 173/12, जूना रिसाला, हरिजन कॉलोनी, इंदौर, जूना रिसाला, न्यू जीडीसी कॉलेज के सामने, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452002 में स्थित है. क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 33.08 वर्ग मीटर. सीमाएँ- विक्रय विलेख के अनुसार- पूर्व - गली संख्या 03 जूना रिसाला, पश्चिम - बैकलेन, उत्तर - क्वार्टर संख्या 13, दक्षिण- क्वार्टर संख्या 11 जूना रिसाला.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
9.	MP/IDR/INDR/A000001106. 1. श्री सिद्धार्थ जैन 2. श्रीमती मोनिका जायसवाल 3. श्रीमती इंदु बाला जैन	13-08-2025 और 06/08/2025 तक रु. 3533345/- **एनपीए तिथि-** 04.08.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति मकान संख्या- 225 (भाग बी), आलोक नगर, कनाड़िया रोड, ग्राम खजराना, आशापूर्णा मंदिर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452016 में स्थित है. क्षेत्रफल- कुल क्षेत्रफल 55.74 वर्ग मीटर. सीमाएँ- विक्रय विलेख के अनुसार- पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - प्लॉट संख्या- 38, उत्तर - उसी प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण - उसी प्लॉट का शेष भाग.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
10.	MP/INE/IDCT/A000001849. 1. श्री वैभव भोंसले 2. श्रीमती मृणालिनी भोंसले	13-08-2025 और 06/08/2025 तक रु. 1242513/-. **एनपीए तिथि-** 04.08.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति स्थित है- प्लॉट संख्या 394/1 लाला का बगीचा, तहसील और जिला इंदौर 452001. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट. सीमाएँ- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व-गली, पश्चिम-राम सिंह का मकान, उत्तर-सड़क, दक्षिण-कला बाई का मकान.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
11.	MP/IDR/MCHL/A000000475 और MP/INE/IDCT/A000002180. 1. श्री विजय शर्मा 2. श्री भगवती शर्मा 3. श्री अजय शर्मा	11-08-2025 और 06/08/2025 तक रु. 18,70,613/-. **एनपीए तिथि-** 04.08.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति यहाँ स्थित है- प्लॉट/मकान संख्या F का भाग, शिव विहार कॉलोनी, नर्मदा रोड (वाल्मीकि वार्ड), ग्राम राऊ, साईं विहार कॉलोनी के पास, शहरी, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत - 45201. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल 440 वर्ग फुट. सीमाएं- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व- कॉलोनी रोड, पश्चिम- पंचाल का मकान, उत्तर- रामस्वरूप पांडे का मकान, दक्षिण- श्री राम का मकान.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
12.	MP/KHA/KHWA/A000000953. 1. श्री विकास राठौर 2. श्रीमती सती बाई राठौर 3. श्री मान सिंह राठौर	11-09-2025 और 08/09/2025 तक रु. 613716/-. **एनपीए दिनांक-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति भूखंड संख्या 375 के दक्षिणी भाग, खसरा संख्या-152, ग्राम-मंडलामाल एवं ग्राम पंचायत-मंडला, तहसील-हरसूद, जिला-खंडवा (मध्य प्रदेश) 450991, कुल क्षेत्रफल-163.51 वर्ग मीटर में स्थित है. माप क्षेत्र-कुल क्षेत्रफल- 163.51 वर्ग मीटर, सीमाएँ- विक्रय पत्र के अनुसार- पूर्व-सड़क, पश्चिम- सरकार का पी-374, उत्तर-पी-375 का बचा हुआ भाग (एक ही भूखंड), दक्षिण-पी-405 रामसिंह पुत्र गणपत का और पी-404 जगदीश पुत्र देवकरण बकोरिया का.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
13.	MP/IDR/INDR/A000001079. 1. श्री वीरेन्द्र कुमार 2. श्रीमती कविता दायमा	11-09-2025 एवं 08/09/2025 को रु. 609738/-. **एनपीए दिनांक-** 05.09.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- संपत्ति यहाँ स्थित है- मकान संख्या-103, पीएच नंबर-34, गाँव-कनासिया, तहसील-तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770, कुल क्षेत्रफल-144.92 वर्ग मीटर. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल- 144.92 वर्ग मीटर. सीमा- विक्रय विलेख के अनुसार- पूर्व- श्री मांगीलाल का मकान, पश्चिम- रोड, उत्तर- श्री जगदीश चंद्र का मकान, दक्षिण- श्री दीनानाथ का मकान.

क्र.	उधारकर्ताओं का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
14.	MH/KGN/KHGN/A000000053. 1. श्री दिनेश यादव 2. श्री कविता यादव	17-06-2025 और 06/06/2025 तक रु. 942563/-. **एनपीए दिनांक-** 03.06.2025

संपत्ति का विस्तृत पता- ग्राम दयालपुरा, पीएच नंबर 05, मकान नंबर 249, वार्ड नंबर 11, पोस्ट दयालपुरा, जिला खरगौन, तहसील गोगांवा, मध्य प्रदेश, भारत-451335 कुल क्षेत्रफल- 704 वर्ग फुट. माप क्षेत्र- कुल क्षेत्रफल 704 वर्ग फुट. सीमा- बिक्री विलेख के अनुसार- पूर्व- खाली प्लॉट, पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- रामेश्वर खुशीलाल का मकान, दक्षिण-सुरेश लोभीराम का मकान.

यदि उक्त ऋणी गारंटर एचएचआर को भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि पूर्वोक्त है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम और लागू नियमों की धारा 13 (14) के अनुसार उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से ऋणी/गारंटर के जोखिम, लागत और परिणाम पर कार्यवाही कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर राजेश चकोटिया-8435571111 (आरआरएम), श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, सुश्री अंकिता पाटिल-7723055195 (सीएलएम), श्री गोविन्द चौहान- 8839328309 (सीआरएम) से संपर्क करें और पता क्षेत्रीय कार्यालय 101 8, प्रथम तल हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, एनआरके बिजनेस पारी विजयनगर, इंदौर (म.प्र.) पिन कोड 452010.

स्थान-मध्य प्रदेश — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक- 21.09.2025 — हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

CHANGE OF NAME

I, **Suman Kumar S/O Arvind Kumar** Residing 76, Pushpa Ratan Park Colony, Near Devguradiya Mandir, Devguradiya, Bicholi Mardana, Indore, Madhya Pradesh - 452016, Have Changed My Name To **Raviraj Kumar** For All Future Purposes.

न्यायालय कलेक्टर, जिला-सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़

रा०प्रक्र० 94/ब-121/2023-2024

- ईश्तहार/सूचना पत्र -

आवेदक **छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा अम्बिकापुर** द्वारा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी **श्री गोविन्द विश्वकर्मा आ० श्री शिवचरण विश्वकर्मा**, निवासी- ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रकरण अनावेदक **(1) श्रीमती स्नेह सिंह पिता प्रहलाद सिंह**, पता- ग्राउंड फ्लोर C/O सौरभ भारती रामनिवास कॉलोनी, राजमोहिनी देवी वार्ड अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ०ग० के इस न्यायालय में उपस्थिति के लिये प्रकरण **दिनांक 25.09.2025** को नियत है।

अतः अनावेदक को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि **दिनांक 25.09.2025** को इस न्यायालय में दिन के **12:00 बजे** अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें। नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा।

आज **दिनांक 19/09/2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
(कलेक्टर सरगुजा द्वारा आदेशित)

प्रभारी अधिकारी
कलेक्टर वाचक शाखा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर
ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **10.10.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

क्रं.	ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नामएवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र दिनांक / बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि (₹) / बिड वृद्धि राशि (₹)
1.	मेसर्स ग्लोबल इम्पेक्स (पार्टनरशिप फर्म) 1. श्री रंजन चेतवानी पिता श्री भगवान दास चेतवानी (पार्टनर), 2.श्री रोहित पटेल पिता श्री हरिनारायण पटेल (पार्टनर), जमानतदार: 1. श्री रंजन चेतवानी पिता श्री भगवान दास चेतवानी, 2. श्री रोहित पटेल पिता श्री हरिनारायण पटेल, 3. श्रीमती श्यामली पटेल पति श्री हंसराज पटेल, 4. श्रीमती भावना धाकड़ पति श्री रोहित धाकड़, 5. श्री राजीव चेतवानी पिता श्री भगवानदास चेतवानी, शाखा: पलासीया, इन्दौर, मोबाईल: 83700 12052	फ्लेट नं. 6, तल मंजिल, कृष्णा अपार्टमेंट, प्लाट नं. 10/1, उषागंज, गली नं. 1, इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 849 वर्गफीट सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल, मालिक: श्री राजीव चेतवानी पिता श्री भगवानदास चेतवानी एवं श्री रंजन चेतवानी पिता श्री भगवान दास चेतवानी, चर्तु:सीमा: उत्तर:** बिल्डिंग कोरीडोर, **दक्षिण:** मकान नं. 11 (श्री नंद किशोर बद्रिलाल जी), **पूर्व:** फ्लेट नं. 07, **पश्चिम:** फ्लेट नं. 05	27.03.2024 / **98,28,935.00** + ब्याज एवं अन्य खर्च - उसके बाद की गई रिकवरी	**29,23,000** / **2,92,300** / **25,000**

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 10.10.2025 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 09.10.2025 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 10.10.2025, सायं 4 बजे तक,
ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076,
खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना
सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा।

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 21.09.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया